न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2019(2019/00380)

श्रीमति मनराज पत्नि रामरतन जाट निवासी तितरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
—प्रार्थीयां

बनाम

1.बन्नालाल पुत्र रायचंद जाट निवासी तितरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2.तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
3.दशरथसिंह पुत्र गोरधनसिंह
4.नंदसिंह पुत्र गोरधनसिंह
5.पृथ्वीराजसिंह पुत्र गोरधन सिंह
6.लक्ष्मण सिंह पुत्र भवानीसिंह
7.भूलकंवर पत्नि स्वर्गीय श्यौजीसिंह
8.छोटूसिंह पुत्र स्व0श्यौजीसिंह
9.दीपसिंह पुत्र स्व0 श्यौजीसिंह
10उम्मेदसिंह पुत्र स्व0श्यौजीसिंह
11.गुलाब कंवर पत्नि ईश्वर सिंह
12.हनुमान सिंह पुत्र गोरधन सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण तितरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
——अप्रार्थीगण

13.सतपाल पुत्र रामरतन जाट
14.रामरतन पुत्र मूला जाट
निवासीगण तितरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर —प्रफार्मा अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:—

1.श्री हनुमान प्रसाद शर्मा वकील— प्रार्थी
2.श्री महेन्द्र चौधरी वकील —अप्रार्थी संख्या 1
3.श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह वकील—अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 05.02.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीर्या ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तितरिया की जमाबंदी संवत् 2071—2074 तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:—

खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
342	243	1045	07.32	बारानी उत्तम
		कुल किता 1	07.32	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:12:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित आराजीयात प्राथीर्या व प्रफार्मा अप्रार्थीगण की स... खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीया व प्रफार्मा के नाम दर्ज है। आराजी के नये खसरा नंबर 1548/1045 रकबा 1.4640 है0, 1549/1045रकबा 4.3920है0

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

,1550/1045रकबा 1.4640है0, कुल किता 03 रकबा 7.32 है0 बने है इस आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबदी मे कोई रास्ता दर्ज नही है। आराजी मे आने जाने का एक मात्र रास्ता जो करीब 20 फुट चौड़ा है जो खसरा नंबर 1040 आम रास्ते से होकर खसरा नंबर 1042 रकबा 2.46 है0 किस्म बारानी उत्तम मे स्थित है तथा उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज है और प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पैरा नंबर 1 मे वर्णित आराजी मे आने जाने का उक्त रास्ता वर्तमान खसरा नंबर 1042 मे मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज है और प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 मे वर्णित आराजी मे आने जाने का उक्त रास्ता वर्तमान खसरा नंबर 1042 मे मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 20.10.2019 से ही उक्त रास्ते मे से होकर प्रार्थी को आने जाने मे बाधा उत्पन्न करने लग गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज होने के कारण आये दिन रास्ते को हॉक कर अवरूद्ध कर देते है । इससे प्रार्थी को आराजी को काश्त करने के लिए कृषि यंत्र,ट्रेक्टर,बैलगाड़ी से कृषि उपज लाने मे बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थीयां ने दिनांक 08.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से रास्ता अवरूद्ध नही करने,सकड़ा नहीं करने एवं बैलगाड़ी,ट्रैक्टर पशुओ आदि के आने जाने मे बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु निवेदन किया तो लड़ाई–झगड़ा करने लग गये व एलानिया धमकी दी कि उक्त आराजीयात हमारी खातेदारी की होने से उक्त कदीमी रास्ते को कतई अवरूद्ध करेगे। तथा अप्रार्थी संख्या 1 अगर उक्त अवैध गैरकानूनी कृत्य मे सफल हो जाता है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात को काश्त करने से वंचित हो जायेगा। तथा प्रार्थी के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना है कि नियमानुसार प्रतिकर अदा करने हेतु प्रार्थी तत्पर व तैयार है अतः उक्त रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थीयां का प्रार्थनापत्र श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीयां के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 12 को अप्रार्थीगण के रूप मे संयोजित करने की प्रार्थना की तथा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी से राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार केकड़ी की जॉच रिपोर्ट पत्र कमांक/राजस्व/2020/930 दिनांक 13.07.2020 से प्राप्त हुई है। मुताबिक तहसीलदार केकड़ी खसरा नंबर 1042 मे से रास्ता चाहा गया है परन्तु मौके के अनुसार पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीया के पति के अनुसार खसरा नंबर 1043 रकबा 0.12 है0 किस्म बारानी उत्तम मे प्रस्तावित किया गया जिसे नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से चिन्हित किया गया है। खसरा नंबर 1043 रकबा 0.12 है0 दशरथसिंह,नंदसिंह,पृथ्वीराजसिंह,राजेन्द्रसिंह,श्योजीसिंह,हनुमानसिह पिता गौरधन सिंह हि01/2 ,भवानीसिंह पुत्र लखा सिंह हि01/2 जाति राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य मे कोई संरचना जैसे पेड,दीवार आदि नहीं है। अप्रार्थीगण खसरा नंबर 1042 व 1455/1042 मे से रास्ता देने के लिए सहमत नही होने व मौके पर प्रार्थीयां अपने खातेदारी खसरा नंबर 1548/1045 पर खसरा नंबर 1043 मे से जाने के कारण पड़ौसी खातेदारी के अनुसार खसरा नंबर 1043 मे से प्रस्तावित किया गया है,यह प्रतिबन्धित श्रेणी मे नहीं आता है। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 30 फीट हेतु प्रार्थना की है परन्तु मौके एवं नक्शा शीट के अनुसार चौड़ाई 5 मीटर से अधिक नहीं है। खसरा नंबर 1043 रकबा 0.12है0 का नक्शा छोटा होने से खसरा नंबर 1043 सम्पूर्ण रकबा 0.12 है0 रास्ता हेतु प्रस्तावित किया गया है,जो उचित है। तहसीलदार केकड़ी से मौका पर्चा प्राप्त होने पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनो को दोहराया तथा तहसीलदार केकड़ी के द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा अनुसार रास्ता दिलवाने की प्रार्थना की तथा निवेदन किया कि वे नियमानुसार प्रतिकर अदा करने हेतु तत्पर है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 श्री बन्नालाल के द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा नंबर 1042 मे से रास्ता दिया जाना उचित नही है,प्रार्थीया एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग मौजूद है उसी मे से रास्ता दिया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 12 के अभिभाषक ने खसरा नंबर 1043 रकबा 0.12 है0 को रास्ता के रूप मे दिया जाने हेतु सहमत है,अतः तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाने मे उन्हे आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:12:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
श्रीमति मनराज **बनाम** बन्नालाल
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2019(2019/00380)
आदेश दिनांक 05.02.2021

मैने वकील पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार केकड़ी का अवलोकन किया। प्रार्थीयां व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 13 व 14 के खसरा नंबर आराजी के नये खसरा नंबर 1548/1045 रकबा 1.4640 है0, 1549/1045रकबा 4.3920है0 ,1550/1045रकबा 1.4640है0, कुल किता 03 रकबा 7.32 है0 मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 1043 का सम्पूर्ण रकबा 0.12 है0 सार्वजनिक रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड दर्ज करे। तथा इस आराजी की डी0एल0सी0 रेट 2,049,301रूपये प्रति है0 की दर से 0.12 है0 का प्रतिकर प्रार्थीयां से प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 12 को भुगतान किया जावे।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला-अजमेर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:12:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner